पत्रांक–2ब० / विविध–27–29 / 2010 7204 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक– 07/11/17

विषयः– नगर निकायों में अवस्थित पार्कों के उपयोग के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के नगर निकायों में नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पार्कों का निर्माण कराया गया है। इन पार्कों में नागरिकों को सुबह–शाम की सैर तथा बच्चों के खेल–कूद के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाएँ विकसित की गई है। पार्कों का निर्माण राज्य योजना तथा नगर निकाय निधि से किया गया है। वर्तमान में AMRUT योजनान्तर्गत AMRUT शहरों में भी पार्कों के निर्माण की योजनाएँ स्वीकृत की जा रही है।

2. नगर निकायों द्वारा पार्कों के रख–रखाव हेतु पार्कों में प्रवेश शुल्क के रूप में कुछ टोकन राशि प्राप्त की जा रही है। परन्तु यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ नगर निकायों द्वारा पार्कों में शादी–व्याह या इस प्रकार के अन्य उत्सवों का आयोजन कराकर भी अपने आय के स्त्रोत में वृद्धि हेतु राशि प्राप्त की जा रही है।

3. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पार्कों में शादी–व्याह या किसी प्रकार के उत्सव आयोजित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाय। पार्कों के रख–रखाव हेतु प्रवेश शुल्क के रूप में टोकन राशि लेना अनुमान्य है परन्तु बड़े व्यक्तिगत/व्यावसायिक आयोजन कराया जाना अनुमान्य नहीं है।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निदेश का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,
3/11/2017
सरकार के प्रधान सचिव।

CME
8/11/17
पटना नगर निगम 08 NOV 2017
14232
08/11/17

D:\Kamlesh\Section_2 (17-18)\Dharmendra\Letter\Letter_P_Sect..docx 164